मोहनलाल / सतीश कुमार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
29.7.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की दफा-5 के प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना गया। अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को संक्षिप्त सुना तथा तहत अदालत के आदेशों का अवलोकन किया। तहत अदालत उपखण्ड अधि. तिजारा द्वारा दिनांक 27.03.19 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। इसके बाद दिनांक 01.04.19 को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। इसके बाद पेशी दर पेशी उक्त स्थगन आदेश की अवधि बढ़ाई जाती रही है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि C.P.C में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र पर छः माह में निस्तारित करने के प्रावधान किये गये हैं। यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि अपील के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के अनुसार अपीलांट विवादित आराजी के सह खातेदार हैं। परन्तु तहत अदालत ने अपीलांट को नहीं सुना। उपरोक्त सभी तथ्यों की रोशनी में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर धारा 212 RT ACT के प्रार्थना-पत्र का दो माह के अन्दर निस्तारण करने हेतु हम तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, तिजारा को निर्देशित किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी तिजारा को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 RT ACT पर उभयपक्षों को सुनकर दो माह के अन्दर उक्त प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करें। तब तक तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के आदेश दिनांक 27.03.19 एवं 01.04.19 प्रकरण संख्या 72/18 उनवान सतीश बनाम राजरानी जो कि आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	3.20 हे० वाले ग्राम टपूकड़ा तहसील तिजारा की रिकॉर्ड तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के सम्बन्ध में दिये गये थे, का प्रचलन स्थगित किया जाता है। अपीलांट को सुनवाई हेतु नियत दिनांक को तहत अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे।
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर